STATEMENT ON MAJOR RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE REPORT OF THE ENERGY SURVEY OF INDIA COMMITTEE

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah): On behalf of Shri Asoka Mehta I beg to lay on the Table a statement on major recommendations contained in the report of the Energy Survey of India Committee 1965 along with the details of action taken or proposed to be taken thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-1445/67.]

RECOMMENDATIONS OF THE ENQUIRY COMMITTEE ON SMALL NEWSPAPERS

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): I beg to lay on the Table a statement of thirty-four recommendations of the Enquiry Committee on Small Newspapers and Government's decisions thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-1446/67.]

INDIAN TELEGRAPH (FOURTH AMENDMENT) RULES

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): I beg to lay on the Table a copy of the Indian Telegraph (Fourth Amendment) Rules, 1967, published in Notification No. G.S.R. 1124 in Gazette of India dated the 29th July, 1967, under sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885. [*Placed in Library. See* No. LT-1447/67].

ANNUAL ADMINISTRATION REPORT OF THE DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY FOR 1965-66

The Minister of Works, Housing and Supply (Shri Jagannath Rao): I beg to lay on the Table a copy of the Annual Administration Report of the Delhi Development Authority for the year 1965-66 under section 26 of the Delhi Development Act, 1957. [*Placed in Library. See* No. LT-1448/67.]

EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS (FIFTH) AMENDMENT) SCHEME

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): I beg to lay on the Table a copy of the Employees' Provident Funds (Fifth Amendment) Scheme, 1967, published in Notification No. G.S.R. 1103 in Gazette of India dated the 22nd July, 1967, under sub-section (2) of section 7 of the Employees' Provident Funds Act, 1952. [*Placed in Library. See* No. LT-1449/67.].

NOTIFICATION UNDER THE CUSTOMS ACT

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. G.S.R. 1176 published in Gazette of India dated the 5th August, 1967, under section 159 of the Customs Act, 1962. [*Placed in Library. See* No. LT-1455/67.]

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं लेंगे ?

Mr. Speaker: Half a dozen items have been covered. I am not going back to cover them again.

श्री मधु लिमये : नेक्स्ट आइटम के पहले मैंने कहा है कि मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप व्यवस्था का प्रश्न सुनिए । इस पर आप ने निर्णय भी नहीं दिया है ।

श्री रबी राय (पुरी) : वह देखिये मोरारजी देसाई चले जा रहे हैं ।

श्री मधु लिमये : इस सदन में कोई नियम या कानून चलेगा या नहीं ? अगर चलेगा तो मैं आपका निर्णय चाहता हूं । जो आपको निर्णय देना है वह दीजिए उस से मुझको मतलब नहीं लेकिन मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : कहिए, कहिए ।

श्री मधु लिमये : मेरा आपसे इतना ही निवेदन है और व्यवस्था का प्रश्न मेरा यह है कि क्या अध्यक्षीय निर्देश 115 को और उसके अन्दर जितनी प्रक्रिया चलती है इस

[श्री मधु लिमये]

सदन की, इसके अलावा इस सदन की परिपाटी है, निर्णय है, सभी को क्या आपने आज खत्म किया है ? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली बार मैंने अध्यक्ष महोदय, 115 के मातहत ..... (व्यवधान) ....

श्री मु० अ० खां : (कासगंज) : अध्यक्ष महोदय, यह वक्त ख़राब कर रहे हैं ... (व्यवधान) ...

श्री मधु लिमये : मैं नियमों और काननों को छोड़ कर कभी नहीं बोलता हूं ..... (व्यवधान) ..... बिलकुल नहीं । कानून और नियम और संविधान के आधार पर बोल रहा हूं । अगर आपकी समझ में बात नहीं आती है तो आप मत सुनिए । (व्यवधान) ...

एक माननीय सदस्य : आप बैठ जाइए ।

श्री मधु लिमये : आप इस तरह बिठाने वाले कौन हैं ? मैं बिलकुल नहीं बैठने वाला हूं । आप कौन बिठाने वाले होते हैं ?

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, आप बार बार इनको क्यों खड़े होने देते हैं ? ...

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन कर निर्णय दीजिए । अगर आप को नियमों को खत्म करना हो तो वह कहिए कि मैं खत्म कर रहा हूं । लेकिन कोई साफ निर्णय आना चाहिए । मैं आप से कह रहा था कि तीसरी लोक सभा में मैंने दो दफ़ा इस सवाल को उठाया कि अगर सरकार की ग़लतबयानी को सब से पहले अगर कोई सदस्य पकड़ता है और उसके बाद कोई बयान आता है तो उसको लेकर मंत्री महोदय अकेले "सु मोटो" बयान नहीं दे सकते हैं । पहले जिसने गलती पकड़ी है उसका बयान होगा और उसके जवाब में ही मंत्री का बयान होगा । मैंने भी आपके सामने लाठी टीला डूमा बारी के बारे में एक बयान दिया था, लेकिन उसका सवाल इस समय नहीं उठा रहा हूं । आप इस पर व्यवस्था दीजिए कि क्या आज से 115 खत्म हो गया ? अगर आप कहेंगे कि 115 खत्म हुआ तो ख्वामुख्वाह हम मेहनत नहीं करेंगे, अपना वक्त बरबाद नहीं करेंगे । आप कहिए कि आपने खत्म कर दिया । आपको इस पर व्यवस्था देनी है ।

Mr. Speaker: The statement has been laid on the Table of the House. I need not give my decision now.

डा० राम मनोहर लोहिया : आप कुछ कह नहीं रहे हैं ?

Mr. Speaker: I have nothing to say now.

ANNUAL REPORT OF INDIAN CENTRAL COTTON COMMITTEE FOR 1965-66 ETC.

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): I beg to lay on the Table--

(1) A copy of the Annual Report of the Indian Central Cotton Committee for the year 1965-66. [*Placed in Library. See* No. LT-1451/67.].

(2) A copy of the Annual Report of the Indian Central Coconut Committee for the year 1965-66. [*Placed in Library. See* No. LT-1452/67.]

(3) A copy of the Annual Report of the Indian Central Jute Committee for the year 1964-65 (Hindi Version). [*Placed in Library. See* No. LT-1453/67.]

(4) A copy of the Annual Report of the National Seeds Corporation Limited, New Delhi for the year 1965-66, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the